FORM N0. II

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय : न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय आसपुर जिला डूँगरपुर (राज0)

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 89/2026 पुलिस थाना साबला

सरकार बनाम भेमजी

723/**2026 रे0फौ0**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.08.2026	एपीओ उपस्थित। थानाधिकारी पुलिस थाना **साबला** जिला डूंगरपुर की ओर से आरोप पत्र मार्फत एपीओ के अभियुक्त **भेमजी** के खिलाफ अपराध अंतर्गत धारा **6/8(1) मत्स्य अधिनियम** में पेश किया। बहस प्रसंज्ञान सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया, सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री से अभियुक्त के खिलाफ उपरोक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर फौजदारी मूल हो। अभियुक्त मय अधिवक्ता **गौविन्दसिंह चौहान** उपस्थित। नकल आरोप पत्र अभियुक्त को निःशुल्क दिलायी गयी। अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा **6/8(1) मत्स्य अधिनियम** के आरोप की विशिष्टियां मौखिक रूप से सुनायी व समझायी गयी तो आरोप स्वीकार किया और पृथक से स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। ऐसे में अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छया की गयी जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा **6/8(1) मत्स्य अधिनियम** अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। सजा के बिन्दु पर उभयपक्ष को सुना गया। अभियुक्त के द्वारा परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत एपीओ ने अभियुक्त को उचित दण्ड से दण्डित किया जाने का निवेदन किया। उभयपक्षो की बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का पुन : ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धी बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। आज अभियुक्त के द्वारा एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसमें अंकित किया है कि उक्त मामले के पूर्व उसको किसी मामले में प्रोबेशन का लाभ नही मिला है न ही किसी भी मामले में पूर्व सजायाब है। प्रकरण के समस्त तथ्य, परिस्थितियों एवं अभियुक्त के द्वारा की गयी स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति को देखते हुए अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **6/8(1)** मत्स्य अधिनियम में परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है। **::आदेश::** फलस्वरूप अभियुक्त **भेमजी पिता प्रेमजी मीणा उम्र 52 साल निवासी माल पुलिस थाना साबला जिला डूंगरपुर राज0** को अपराध अंतर्गत धारा **6/8 मत्स्य अधिनियम** अधिनियम के दोषसिद्ध अपराध में तुरन्त कारावास से दण्डित नही किया जाकर आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3	

न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय
आसपुर जिला डूंगरपुर (राज.)

के तहत सम्यक रूप से प्रताडित किया जाता है कि आयन्दा इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति नही करे तथा साथ ही आदेश दिया जाता है कि परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत अभियुक्त रूपये 300/– अभियोजन व्यय के रूप में जमा करायेगा तो उसे परिवीक्षा पर रिहा किया जावे। अभियुक्त के द्वारा जमा करायी गयी राशि राजकोष में जमा हो।

(श्रीमति मोनिका धनोल)
न्यायाधिकारी,
ग्राम न्यायालय आसपुर

आदेशानुसार अभियुक्त **भेमजी** ने राशि रूपये 300/– जमा कराये जो रसीद सं. 44/080583 दिनांक 18.08.2026 को जमा की गयी। प्रकरण में जब्तशुदा सामग्री को नियमानुसार निस्तारित किये जाने बाबत संबंधित थानाधिकारी को तहरीर जारी हो। अभियुक्त को परिवीक्षा पर रिहा किया गया। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(श्रीमति मोनिका धनोल)
न्यायाधिकारी,
ग्राम न्यायालय आसपुर

MAHESH CHOUBISA

"I attest to the accuracy and
authenticity of this document."
Digitally signed by MAHESH CHOUBISA
Location: GRAM NAYAYALAYA ASPUR
Date: 2026.08.20 12:34:11 +0530